Enquiry into the use of State Funds

*18. SHRI PRAMOD MAHAJAN:
SHRI VIREN J. SHAH:

Will the MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether the journalist organisations, in a Memorandum to the Prime Minister, have demanded an enquiry by an intelligence agency into the use of State funds by the Central and State Governments to influence the journalist and the newspaper proprietors, through various inducements, as reported in the 'Observer', New Delhi of 9th October, 1995;

(b) if so, what are the details in this regard; and

(c) what action Government have taken or propose to take in the matter?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI P.A. SANGMA): (a) and (b) Yes, Sir. The All India Newspaper Employees Federation, Federation of PTI Employees Unions and UNI Employees Federation and jointly submitted a Momorandum to the Prime Minister, seeking a probe by intelligence agencies into the matter of alleged use of State funds to influence the journalists and the newspaper proprietors.

(c) The Government had forwarded the Memorandum to Press Council of India (PCI) who, of their own, have also constituted a Committee under the Chairmanship of Shri Justice P.B.Sawant, Chairman, PCI, to undertake a comprehensive study on all India basis with regard to all kinds of alleged favours in kind and cash, concessions, gifts, facilities, etc. given by the Central Government, State Governments and Union Territories to the journalists. The Memorandum has been taken on record by the Council for consideration by the Committee .alongwith other responses received by the Council.

वर्ल्ड टेल और दूरदर्शन के बीच हुए समझौते की शर्तें

19. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व कप क्रिकेट मैचों के प्रसारण संबंधी विवाद में वर्ल्ड टेल और दूरदर्शन के बीच हुए समझौते की शर्तें क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने भविष्य में प्रसारण संबंधी विवादों से बचने के लिए कोई नई नीति बनाई है; और

(ग) विदेशी चैनलों के मुकाबले दूरदर्शन को अधिक लोकप्रिय और प्रतियोगी बनाने के लिए सरकार द्वारा किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री पी०ए० संगमा): (क) 1996 विश्व कप मैचों के कवरेज संबंधी विवाद को मध्यस्थता हेतु भेजा गया है। दूरदर्शन, वर्ल्ड टेक इंक, स्टार टी०वी० पिलकॉम तथा बी०सी०सी०आई० जो उक्त विवाद में पार्टियों थीं, ने अन्य बातों के साथ-साथ सहमति प्रकट की है कि एकमात्र मध्यस्थ— श्री एन०के०पी० साल्वे द्वारा विवाद के अंतिम निर्णय की शर्त पर, पार्टियां निम्न से सहमत हैं कि:—

(1) वर्ल्ड टेल और दूरदर्शन के मध्य सह-निर्माण के जरिए भारत में खेले जाने वाले मैचों हेतु संकेत बनाए जाएंगे।

(2) पाकिस्तान और श्रीलंका में खेले जाने वाले सभी अन्य मैचों के संबंध में वलर्ड टेल, दूरदर्शन को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सीधे प्रसारण की पिक्चर्स भी उपलब्ध करवायेगा।

(3) दूरदर्शन द्वारा भारतीय प्रसारण के प्रयोजनार्थ सह-निर्माण द्वारा बनाए संकेतों को भारतीय उपग्रहों से तथा 1996 क्रिकेट वर्ल्ड कप अनुज्ञप्तिाधरियों को वितरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय उपग्रहों से दूरदर्शन द्वारा अपलिंक किया जाएगा।

(4) दूरदर्शन, अपने स्थलीय नेटवर्क सहित भारतीय उपग्रहों के जरिए इन संकेतों का वाणिज्यिक रूप से प्रयोग करने तथा प्रसारण करने का हकदार होगा। इसी तरह, स्टार टी०वी० अपने उपग्रह ट्रांसमिशन की भारतीय पद्धति का वाणिज्यिक रूप से प्रयोग करने तथा प्रसारण करने का हकदार होगा।

(5) आकाशवाणी, अपने स्वयं के नेटवर्क के जरिए 1996 विल्स वर्ल्ड कप के सभी 37 मैचों को सीधे कवर करने का हकदार होगा।

(6) दूरदर्शन, तम्बाकू तथा तम्बाकू से संबंधित उत्पादों, पुस्तकों और प्रकाशनों से संबंधित किसी विज्ञापन तथा शीर्षक प्रायोजक की किसी प्रतिस्पर्द्धी हस्ती द्वारा क्रिकेट से संबंधित होम वीडियों का प्रसारण नहीं करेगा।

(7) सह-निर्माण से बनाए जाने वाले संकेत और आयोजन की कार्यक्रम सामग्री आयोजन के शुरू होने की तिथि से छः महीनों के लिए सीमित होगा तथा इसका मालिक पिलकॉम ही रहेगा।

(8) एकमात्र मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होगा तथा सभी पार्टियों के लिए बाध्यकारी होगा।

(ख) व्यापक प्रसारण कानून लागू होने से पूर्व वर्तमान नीति इस काल अन्तराल में पर्याप्त समझी गई है।

(ग) दूरदर्शन द्वारा अपने दर्शकों के विशाल प्रतिनिधिक समूह की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने तथा उनकी रुचि को बनाए रखने के उद्देश्य से उठाए गए कदमों में इसके स्थलीय नेटवर्क के चरणबद्ध विस्तार के जरिए इसके चैनलों की तकनीकी गुणवत्ता में सुधार करना तथा नवीनतम कला-स्थिति उपकरणों की शुरूआत करना तथा कार्यक्रम पक्ष में अतिरिक्त चैनलों तथा कार्यक्रम प्रारूपों को शुरूआत करना शामिल है।

Investment of Funds by IFC

*20. SHRI SANJAY DALMIA:
SHRI MOOLCHAND MEENA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the total funds provided by International Finance Corporation as loan/equity for investment in private sector projects during the year 1994-95; and

(b) the details of the projects for which funds have been provided by IFC?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. DEBI PROSAD PAL): (a) and (b) During the year 1994-95 International Finance Corporation had approved total investment of $ 554.81 million as loan/equity in private sector projects from its won resources and through syndication. The details of the projects for which funds have been provided is annexed.

Statement

List of Funds Approved by IFC during 1994-95

(in US $ million)

Sl No.	Name of Company	Loan	Equity	Total
1.	GESCO	—	2.23	2.23
2.	DLF Cement Ltd.	28.00	8.50	36.50
3.	India Lease Development Ltd.	—	0.30	0.30
4.	GVK Power	110.00	8.30	118.30
5.	Global Trust Bank	—	3.19	3.19
6.	Chowgle Steamship Ltd.	42.00	5.00	47.00
7.	ST-CM Electric Company Neyveli Power	60.00	18.00	78.00